न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 05/2024

अनवान : –

1 मैनपाल पुत्र औमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एस.एल.डबल्यू मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र बिसनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी
2. विनोद पुत्र ओमप्रकाश 16 एस. एल.डबल्यू मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

3.पूनम पुत्री ओमप्रकाश पत्नी अजय जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 11/01/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के पिता, अप्रार्थी सं० 1 के नाम से चक नं0 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 19 / 20 में कुल 6.831 है० तथा चक 5 केएसपी के खाता सं0 12/9 में कुल 2.530 है0 तथा चकनं0 3 केएसपी के खातासं0 14/12 में कुल 1.771 है० तथा चक नं0 5 एजी के खाता सं0 52 / 43 में कुल 1.214 है0 में से 1/3 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो कॉपी जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी जो कि पैतृक सम्पति है जो अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी के दादा बिशनाराम से प्राप्त आराजी है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी में से प्रार्थी का 1/4 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की आराजी प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है व प्रार्थी अपनी आराजी पर काबिज चला आ रहा है लेकिन प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी में से प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं प्रार्थी वंचित रहता है। इसलिए प्रार्थी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज अप्रार्थी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम व हिस्सा की आराजी में से प्रार्थी 1/4 हिस्सा की आराजी का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नं0 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 19/20, चक नं0 5 केएसपी के खाता सं0 12/9 तथा चकनं0 3 केएसपी के खातासं0 14/12 में व चक नं0 5 एजी के खाता सं0 52/43 में से अप्रार्थी सं0 1 ओमप्रकाश का हिस्सा कम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे दर्ज प्रार्थी के हिस्सा की आराजी का खाता अप्रार्थीगण के साथ

Scanned with CamScanner

संयुक्त रहने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है । इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की आराजी का खाता अप्रार्थीगण से अलग मुताबिक अच्छी मन्दी के अनुसार तकसीम करवाकर मुताबिक तकसीम रकम राज अलग से कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की आराजी प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन उक्त आराजी समस्त अप्रार्थी सं० 1 के नाम से दर्ज होने का नाजायज गुफाद उठाकर उपरोक्त समस्त आराजी को रहन, बैय करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की आराजी जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है को बिना खाता विभाजन करवाने रहन, बैय करने तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है तथा बार बार उपरोक्त आराजी को रहन, बैय करने की धमकियाँ दे रहा है तथा अप्रार्थी सं0 1, जो कि अप्राथीगण सं0 2 व 3 के दबाव व असर में है। अगर अप्रार्थीगण सं० 1 अपने इस गलत व विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो गया तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व प्रार्थी को नाइक ही मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा । अतः प्रथम दृ ष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है । ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चक नं0 16 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 19/20 में कुल 6.831 है० तथा चक 5 केएसपी के खाता सं0 12/9 में कुल 2,530 है० तथा चकनं0 3 केएसपी के खातासं0 14 / 12 में कुल 1.771 है० तथा चक नं0 5 एजी के खाता सं0 52 / 43 में कुल 1.214 है0 में से 1/3 हिस्सा आराजी को बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने व अन्य किसी से करवाने व मौजूदा रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.01.2024 को इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण चक नं0 16 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 19/20 में कुल 6.831 है० तथा चक 5 केएसपी के खाता सं0 12/9 में कुल 2,530 है० तथा चकनं0 3 केएसपी के खातासं0 14 / 12 में कुल 1.771 है० तथा चक नं0 5 एजी के खाता सं0 52 / 43 में कुल 1.214 है0 में से 1/3 हिस्सा आराजी को बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने निषेद्ध रहे। अप्रार्थीगण स0 1 व 2 की तरफ से अधिवकता अब्दुल सतार जोईया ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज तथ्य अनवान सदर का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने का कथन स्वीकार है, शेष कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नहीं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारीजी के है

प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज सजरा खानदान स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 4 कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज की गई है, स्वीकार नही । वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित चक 16 एस.एल.डबल्यू के जमाबन्दी खाता सं0 19/20 में वर्णित प0न0 179/314 मु0 1 में वर्णित कुल 3.795 है0 तथा प०न० 183/222 मु0 63 में वर्णित कुल 1.518 है0 आराजी व चक 5 केएसपी के जमाबन्दी खाता सं0 12/9 में वर्णित कुल 2.530 है0 आराजी तथा चक नं0 3 केएसपी के जमाबन्दी खाता सं0 14/12 मे वर्णित कुल 1.771 है० आराजी मुझ अप्रार्थी को जरिये डिक्री दिनांक 25.02.1997 प्राप्त आराजी है इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी विरासतन प्राप्त नही होने के कारण पैतृक सम्पति की परिभाषा में नही आती है तथा चकनं0 16 एस.एल.डबल्यू के

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी खाता सं0 19/20 के प0न0 181 /318 मु० 31 किलानं0 18,19,20 की आराजी मुझ अप्रार्थी की खरीदशुदा आराजी है जो मुझ अप्रार्थी ने मनीराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार निवासी 16 एस. एल. डबल्यू तहसील टिब्बी से जरिये पंजीबद्ध वैयनामा दिनांक 30.04.2007 को खरीद की थी, इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा व अधिकार नही हैं प्रार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आया है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त आराजी बाबत किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है । प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित तथ्य कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नहीं। दफा 4 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी का खाता संयुक्त होने तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बने रहने के कथन स्वतः ही गलत साबित होते है। प्रार्थी किसी प्रकार की खाता विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही जैसा कि जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित आराजी मुझ अप्रार्थी का अपने पिता से विरास्तन प्राप्त न होकर जरिये डिक्री प्राप्त आराजी है तथा चक 16 एस. एल.डबल्यू के प0न0 181/318 मु0 31 किलानं0 18, 19, 20 कुल 3 बीघा आराजी मुझ अप्रार्थी की खरीदशुदा आराजी है इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है इसलिए प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है । अप्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन अभिलिखित खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती इसके बावजूद भी मुकदमा हाजा में जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाये तो अप्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा अप्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी इसलिए प्रथम दृष्टया मामाल, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है। ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है।

लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थी स0 3 के अधिवकता द्वारा आदेशिका दिनांक 14.01.2025 को आदेशिका में अंकन किया अप्रार्थी स0 3 के विरूद्ध हमारा कोई अनुतोष नही है अतः अप्रार्थी संख्या 3 का नाम हटाया जाये, अप्रार्थी स0 3 का नाम आदेशिका दिनांक 14.01.2025 द्वारा हटाया गया। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सूनी गयी।1

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा साक्ष्य सबूतो के आधार पर मूल दावे के निर्णय में तय होना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता सलंग्न राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादभूमि 16 एस. एल.डबल्यू के प0न0 181/318 मु0 31 किलानं0 18, 19, 20 कुल 3 बीघा आराजी आराजी अप्रार्थी की खरीदशुद्धा भूमि है उपरोक्त विवेचनस्वरूप प्रार्थी केवल अपने पैतृक आरजी में हिस्से तक की भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है, न कि अप्रार्थी की खरीदशुद्धा भूमि पर। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में बन रहा है। अतः अप्रार्थी अपनी खरीदशुद्धा भूमि चक 16 एस. एल.डबल्यू के प0न0 181/318 मु0 31 किलानं0 18, 19,

Scanned with CamScanner

20 कुल 3 बीघा आराजी को रहन बैय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है अतः वादभूमि चक 16 एस. एल.डबल्यू. के प0न0 181/318 मु0 31 किलानं0 18, 19, 20 कुल 3 बीघा आराजी को छोडकर शेष वादभूमि में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.01.2024 को ताफैसला वाद confirm किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 17/01/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner